न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठैड, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील एल आर एक्ट संख्या :–26/2016/अजमेर

वेणीगोपाल पुत्र मीठालाल मृतक जरिये वारिसान
1/1 रतनलाल,
1/2 केदारमल,
1/3 विधा,
1/4 माया,
1/5 चंद्रकांता
1/6 उगम
सुरेश पुत्र प्रेमचंद
चंद्रप्रकाश पुत्र रामस्वरूप
समस्त जाति महाजन निवासीगण केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर

........अपीलाण्ट्स

बनाम

1. रोडू पुत्र स्व. छीतर जाट
2. घीसी पुत्री स्व. छीतर जाट
3. गीता पुत्री स्व. छीतर जाट
4. रामजसी पुत्री स्व. छीतर जाट
5. रसाल पुत्री स्व. छीतर जाट
6. रामेश्वरी पुत्री स्व. छीतर जाट

समस्त जाति जाट निवासी ब्यावर रोड़ केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर

7. तहसीलदार तहसील कार्यालय केकड़ी जिला अजमेर।

............अप्रार्थीगण

8. ओमप्रकाश पुत्र रास्वरूप
9. मूलचंद पुत्र स्व. मीठालाल
10. अशोक कुमार पुत्र स्व. मदनगोपाल
11. पुरूषोत्तम पुत्र स्व. मदनगोपाल
12. श्यामसुन्दर पुत्र स्व. मदनगोपाल
13. सुरजनारायण पुत्र स्व. मीठालाल
14. मनभर पुत्री स्व. मीठालाल
15. नर्मदा पुत्री स्व. मीठालाल
16. सुरेश पुत्र प्रेमचंद
17. गिरिराज प्रसाद पुत्र विरदीचंद
18. लालचंद पुत्र विरदीचंद
19. सरजू देवी पुत्री विरदीचंद

समस्त जाति महाजन निवासीगण केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर

–तरतीबी रेस्पोडेण्ड

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी दिनांक 23.07.2015 द्वारा पारित किया गया।

Signature Not Verified

उपस्थित अभि0ः–श्री नीरज जैन (अपीलांट अभि0)
रेस्पो0 अभि0ः–श्री शिव प्रकाश चौधरी
राजकीय अभि0ः– श्री आकाश पारीक

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:36:55 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांकः—28.02.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा न0 3968 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा जिसके नये खसरा न0 3581 रकबा 0.76 हे0 बने है, ग्राम केकड़ी तहसील केकड़ी मे स्थित है। उक्त आराजी अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 8 से 19 के पूर्वज मीठालाल व जगन्नाथ की खातेदारी की आराजी रही है। जिनके देहांत के पश्चात् नामांतरण संख्या 1120 दिनांक 28.08.1985 से अपीलांट व रेस्पो0 8 से 19 के नाम राजस्व अभिलेख में अंकन किया हुआ है। रेस्पो0 न0 1 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट के तहत राजस्व रिकोर्ड में दुरूस्ती के संबंध में प्रस्तुत किया था। उसके अनुसार राजस्व अभिलेख में छीत्तर वल्द धन्ना राहीन मीठालाल वल्द जगन्नाथ के नाम भूमि रही है। मगर जमाबंदी मे उपरोक्त भूमि कों मीठलाल वल्द जगन्नाथ के नाम कर दिया है। जबकि उपरोक्त आराजी पर जो प्राइवेट रहन था उसे चुकता कर दिया गया है। अतः खाता दुरूस्त कर दिया जायें।

उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 21.07.2015 को प्रस्तुत किया गया था जिस पर दिनांक 21.07.2015 को ही तहसीलदार केकड़ी को जांच रिपोर्ट करने के आदेश दिये एवं उक्त दिनांक को तहसीलदार के आदेशानुसार पटवारी हल्का द्वारा ''आराजीयात खसरा संख्या 3581 रकबा 0.76 हे0 जमाबंदी संवत् 2024 में छित्तर वलद धन्ना राहीन मीठालाल वल्द जगन्नाथ के नाम अंकन हुए है। जिसकी दुरूस्ती आवश्यक है।'' उक्तानुसार् रिपोर्ट प्रेषित की गई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 22.07.2015 को गिरदावर द्वारा ''जमाबंदी संवत् 2024 से 27 को दुरूस्ती किया जाना उचित है अंकित किया गया।'' इस आधार पर तहसीलदार द्वारा उक्त दुरूस्ती किये जाने की अभिशंषा की गई। इसके आधार पर उपखण्ड अधिकारी केकड़ी द्वारा रिकोर्ड दुरूस्ती की स्वीकृति किये जाने बाबत् आदेश दिनांक 23.07.2015 को अवैधानिक तरिके से पारित किया गया जो निरस्त योग्य है। अपीलांट को बिना पक्षकार बनायें, बिना सुने, बिना नोटिस दिये आदेश दिया गया है, जो अनुचित है। धारा 136 के प्रार्थना पत्र में पक्षकारों की सहमति के बाद ही निर्णय किया जा सकता है। राजस्व अभिलेख में मृतक छीत्तर वल्द धन्ना का नाम अंकित कर दिया गया है तथा अपीलांट को सुने बिना नामांतरण संख्या 770 दिनांक 26.08.2015 गैर कानूनी तरीके से खोल दिया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जायें तथा उपखण्ड अधिकारी केकड़ी द्वारा दिया गया आदेश दिनांक 23.07.2015 का आदेश निरस्त किया जायें।

अपील न्यायालय के क्षैत्राधिकार में होने से प्रस्तुत किये जाने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिसेज जारी किये गए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकोर्ड मंगवाया जाकर प्राप्त किया गया।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र के अनुसार यह है कि अपीलांट को उपखण्ड अधिकारी केकड़ी के आदेश की जानकारी दिनांक 26.08.2015 के उपरांत प्राप्त हुई दिनांक 18.09.2015 को नकल हेतु आवेदन किया। दिनांक 22.09.2015 को प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त हुई। दिनांक 28.09.2015 को न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर दी गई। अतः अपील को प्रस्तुत करने मे हुई देरी को क्षमा किया जायें। उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में अपीलांट द्वारा अपना शपथ पत्र भी दिया गया।

एक अन्य प्रार्थना पत्र बाबत् स्थगन भी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलांट को सुने एकपक्षीय रूप से आदेश पारित किया गया है। उस आदेश की आड़ में रेस्पो0 मुझे अपनी भूमि से बेदखल करना चाहता है। जिससे मुझे अपूरणीय क्षति होगी। अतः उपखण्ड अधिकारी के स्थगन आदेश दिनांक 23.07.2015 को निरस्त किया जायें।

रेस्पो0 की तरफ से शिवप्रकाश चौधरी एडवोकेट प्रस्तुत हुए। उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी निम्न महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहता है–1.राजस्व वाद उनवानी वेणीगोपाल बनाम रोडू प्रकरण संख्या 4079/2015 अन्तर्गत धारा 88,89,188,209,136 की सत्य प्रतिलिपी मय ऑर्डरशीट। यह है कि उपरोक्त दस्तावेज पब्लिक दस्तावेज होकर सत्य प्रतिलिपियां है। इसलिए उपरोक्त दस्तावेजों को रिकोर्ड पर लिया जाये। उक्त दस्तावेज अपील निर्णय हेतु आवश्यक दस्तावेज है। इसके समर्थन में उनके द्वारा एक शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया।

बहस प्रार्थना पत्र एवं अपील सुनी गई।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी व 151 पर बहस सुनी गई। प्रार्थी अभि0 शिवप्रकाश ने बताया की अपीलांट स्वच्छ हाथों से कोर्ट मे नहीं आयें है। अपील में कानूनी बिन्दु है–1–अपील मियाद बाहर है। 2–नियमित वादपत्र पर सुनवाई जारी है तो समरी ट्राइल नहीं चलेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:36:55 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांट के अनुसार इन्हें दिनांक 26.08.2015 को नकल लेने पर जानकारी नहीं मिली है और उनके द्वारा दिनांक 22.09.2015 को वादपत्र अपील दायर की है। जबकि एस0डी0ओ कोर्ट केकड़ी में उनके द्वारा दिनांक 10.09.2015 को ही एक नियमित वादपत्र प्रस्तुत कर दिया था। अतः अपीलांट स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आया। 3-कब्जा बाबत् कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। 4-तहसीलदार द्वारा धारा 136 के प्रकरण में अनुशंषा की गई थी।

नामांतरण जो मृतक के पक्ष में खोला गया था। वह अपीलांट द्वारा चेलेंज नहीं किया गया है। वो नामांतरण आज भी स्टैंड कर रहा है।

प्रार्थना पत्र के जवाब में अप्रार्थी अपीलांट द्वारा बताया गया कि रेस्पो0 दावे के माध्यम से उक्त लाभ ले सकता था। मगर धारा 136 के माध्यम से उसे लाभ दिया गया जो गलत है। उपखण्ड अधिकारी का निर्णय दिनांक 23.07.2015 अवैधानिक है। उक्त आदेश की प्रतिलिपी दिनांक 22.09.2015 को प्राप्त हुई थी, दिनांक 28.09.2015 को पीठासीन अधिकारी का पद खाली होने से अपील रीडर ने प्राप्त की। गत 50 वर्षो से विवादित जमीन हमारे पास रहन रखी जाने से कब्जा हमारा माना जायें। रहन से कब मुक्त हुई यह प्रार्थी रेस्पो0 ने नहीं बताया। मात्र पटवारी रिपोर्ट को आधार मानकर कार्रवाही की गई। पक्षकार उपस्थित नहीं थे। तहसीलदार की अनुशंषा नहीं है। दावे में पृथक से नामांतरण संख्या 1283 को निरस्त करने बाबत चेलेंज किया है। रिबूट्ल में वकील प्रार्थी के अनुसार दिनांक 22.09.2015 एक क्रुसियल डेट है। दो समांनान्तर प्रोसिडिंग नहीं चल सकती है। अप्रार्थी अपीलांट ने रहन बताया जमीन को वह ट्राइल कोर्ट में ही सिद्ध होगा।

अन्तिम बहस में वकील अपीलांट नीरज जैन द्वारा कथन किए गये कि प्रकरण धारा 136 एल आर एक्ट में दिनांक 21.07.2015 को दर्ज किया गया था। दिनांक 22.07.2015 को रिपोर्ट प्राप्त की गई और दिनांक 23.07.2015 को निर्णय सुनाया गया। पक्षकार उपस्थित नहीं थे पक्षकारों के मध्य सहमति नहीं थी। वकील अपीलांट द्वारा यह बताया की इस प्रकरण में कानूनी बिन्दु समाहित है- 1. बिना सुनवाई निर्णय किया गया। 2. धारा 42 के तहत रहनामा की राजस्व रिकोर्ड में अंकन का मतलब है कि उक्त भूमि पर रहन ग्रहिता को अतिक्रमी माना जायेगा। जिसे हटाने के लिए खातेदारी की घोषणा का दावा लाया जायेगा।

वकील अपीलांट द्वारा दो न्यायिक दृष्टांत पेश किये गए- 1. 2018-19 सप्लिमेंट्री आरआरटी पेज 335 2. सुप्रीम कोर्ट एस0सी0-आरबीजे-पेज 256(रहन रखी गई जमीन तो यह बताना होगा कि कब मुक्त हुई)

नामांतरण संख्या 1283 में छित्तर का नाम खोला गया था। जबकि मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार छीत्तर की मृत्यु दिनांक 14.01.99 को हो चुकी थी। स्पष्ट है कि मृत व्यक्ति के पक्ष में फैसला किया गया है। बाद में छीत्तर की मृत्यु की जानकारी देते हुए अपने नाम नामांतरण खुलवा लिया।

2021(1) आरआरटी-622 राजस्व मण्डल अजमेर हबताराम बनाम राज्य सरकार, आरबीजे (22) 2015 पेज 280 राजस्व मण्डल अजमेर अनन्तराम बनाम राज्य सरकार

अपीलांट द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर में धारा 9 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि संभागीय आयुक्त अजमेर का पद दिनांक 30.09.2015 को पीठासीन अधिकारी की सेवानिवृति के पश्चात रिक्त चला आ रहा है। इस वजह से उनकी अपील पर कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। प्रार्थना पत्र को सुनने के बाद अपीलांट को न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा निर्देशित किया गया कि वह अग्रिम तारीख हेतु अपनी अपील न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त में दर्ज करायें। इस कारण से उक्त अपील सुनवाई की जा रही है।

अधीनस्थ न्यायालय की प्राप्त पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त पत्रावली में एक प्रार्थना पत्र खाता दुरुस्ती आवेदन पत्र नाम से है। उक्त प्रार्थना पत्र का विषय राजस्व रिकोर्ड दुरुस्ती के संबंध में प्रार्थना पत्र में निम्न अनुसार कथन किये हुए है ''ग्राम केकड़ी की जमाबंदी संवत् 2024-27 खाता संख्या 366 में छीत्तर वल्द धन्ना जाट राहीनान मीठूलाल वल्द जगन्नाथ कौम महाजन माहेश्वरी गोत्र तोषनीवाल के नाम दर्ज है। परंतु वर्किंग जमाबंदी में मेरे पिताजी के नाम को विलोपित करते हुए, मीठालाल वलद जगन्नाथ महाजन के नाम दर्ज कर दिया है। जो कि गलत है। उक्त खाते में दर्ज साबिक खाते में दर्ज 3968 रकबा [illegible] बीघा 14 बिस्वा जिसके खाता नं 3581 रकबा 0.76 हे0 पर मेरे पिताजी का कब्जाकाश्त था। उनकी मृत्यु पश्चात् मेरा स्वयं का कब्जाकाश्त है। परंतु मेरे पिताजी एवं मैं स्वयं भी अनपढ़ हूं तथा राजस्व रिकोर्ड की जानकारी नहीं होने के कारण उक्त खाते में से मेरे पिताजी का नाम सहवन से [illegible] दिया गया है। उक्त खसरा न0 प्राइवेट रहन था। जिसे हमने पूर्व में चुकता कर दिया है। तथा सैटलमेंट में भी दुरूस्त होकर मेंरे पिताजी के नाम दर्ज करने हेतु आदेश दिया है। परंतु आदेश का अमल नहीं हुआ है। अतः श्रीमान से निवेदन है

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:36:55 IST
Reason: SelfAttested

कि मुताबिक चौसाला जमाबंदी के अनुसार उक्त खाते को दुरस्त कर मुझ गरीब की समस्या के निजात दिलाने की कृपा करें। प्रार्थी के तौर पर रोडूलाल लिखा हुआ है अन्य दो शिवराज और प्रहलाद के हस्ताक्षर किये हुए लिखे है। उक्त प्रार्थना पत्र के पीछे वाले पृष्ठ पर रिपोर्ट पटवारी व भू अभिलेख निम्न अनुसार दर्ज है। ''महोदय मुताबिक जमाबंदी 2069-72 में खाता संख्या 1946 खसरा न0 3581/0.76 खातेदार के स्थान पर चौशाला जमाबंदी 2024-27 व भू-प्रबंध विभाग से प्राप्त परिशोधन के आधार पर छीत्तर पिता धन्ना कौम जाट साकिन्दह खातेदार का नाम दुरूस्त किया। गिरदावर रिपोर्ट के अनुसार यह अंकित किया है। ''श्रीमान जी आवेदक के पिता पुत्र धन्ना जाट का नाम जमाबंदी संवत् 2024-27 के खाता संख्या 360 में खसरा न0 3968 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा खातेदारी में दर्ज है। व मीठूलाल वलद जगन्नाथ महाजन का नाम राहीन में दर्ज है। जबकि वर्किंग जमाबंदी व भू प्रबंध विभाग द्वारा राहीन के नाम खातेदारी दर्ज कर दी। जबकि मौके पर कब्जा छित्तर के वारिसान का है। अतः गत रिपोर्ट चौशाला जमाबंदी 2024-27 के अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित है।'' तहसीलदार ने अपने पृष्टांकन में लिखा है। महोदय प्रकरण में संलग्न दस्तावेजात रिपोर्ट हल्का पटवारी एवं जांच गिरदावर के आधार पर दुरूस्ती किये जाने की अभिशंषा की है। उपखण्ड अधिकारी ने आदेश में यह लिखा है ''तहसीलदार केकड़ी की रिपोर्ट/अनुशंषा की रिकोर्ड दुरूस्ती की जाती है। उक्त आदेश उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 23.07.2015 में जारी किया हुआ पाया है'' उक्त प्रार्थना पत्र के आदेश के अलावा पत्रावली में जमाबंदी ग्राम केकड़ी संवत 2041 केवट खतोनी ग्राम केकड़ी संवत 2024 खसरा परिशोधन पत्र भू प्रबंध विभाग नामांतरण रजिस्टर ग्राम केकड़ी क्रम संख्या 651 खाता संख्या 110 रोडूलाल पुत्र छीत्तरमल जाति जाट का शपथ पत्र, वारिसान प्रमाणपत्र नगरपालिका केकड़ी मृत्यु प्रमाणपत्र छीत्तरमल जाट दिनांक 14.01.1999 द्वारा रजिस्ट्रार ,मृत्यु प्रमाणपत्र गुलाबदेवी खतौनी लोक संवत 2069-72 ग्राम केकड़ी खाता न0 1946 मौका पर्चा दिनांक 21.07.2015 पत्रावली संलग्न है। प्रस्तुत दस्तावेज में शपथ पत्र एवं खतौनी 2069-72 के अलावा सभी फोटोस्टेटे प्रतिलिपीया मात्र है जिनके आधार पर भी निर्णय दिया गया है।

मौका पर्चा दिनांक 21.07.2015 के अनुसार ''भू-प्रबंध द्वारा तैयार परिशोधन में वर्किंग जमाबंदी के खाता संख्या 1183 को दुरूस्ती हेतु मीठालाल वलद जगन्नाथ जाति महाजन के स्थान पर छीत्तर पुत्र धन्ना जाति जाट साकिन्दह राहीन मीठालाल पुत्र जगन्नाथ जाति महाजन साकिन्दह का आदेश हुआ है। परंतु उक्त परिशोधन में दर्ज खसरा न0 साबिक 4149/10 बीघा 5 बिस्वा 10 बिस्वांसी, 4279/3 बीघा 10 बिस्वा का अमल नामांतरण संख्या 651 दिनांक 02.07.1994 द्वारा छीत्तर वल्द धन्ना के नाम हो चुका है। किंतु खसरा न0 साबिक 3968 का अमल नहीं हुआ है। जो अमल किया जाना है। अतः परिशोधन के रिकोर्ड दुरूस्त किया जाना उचित है।

सर्वप्रथम प्रार्थी रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी को देखा गया।

आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी के प्रावधानों को देखा गया। इसके अनुसार नियम 27(1) अपील के पक्षकार न्यायालय में अतिरिक्त साक्ष्य चाहे वह मौखिक हो या दस्तावेजी पेश करने का हकदार होगें। नियम 27(1)ख0 के अनुसार अपील न्यायालय किसी दस्तावेज के पेश किये जाने की या किसी साक्षी को परीक्षा की जाने की अपेक्षा या तो स्वयं निर्णय सुनाने में समर्थ होने के लिए या किसी अन्य सारवान हेतु के लिए करें तो अपील न्यायालय से साक्ष्य का लिया जाना या दस्तावेज का पेश किया जाना या साक्ष्य की परीक्षा का किया जाना अनुज्ञात कर सकेगा। मगर न्यायालय ऐसे साक्ष्य को ग्रहण किया जाने का लेखबद्ध करेगा।

रेस्पो0 प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई। विधिक प्रावधान का अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजात प्रमाणित प्रतिलिपी के तौर पर है तथा अधीनस्थ उपखण्ड न्यायालय केकड़ी में प्रकरण संख्या 4070/15 वेणीगोपाल बनाम् रोडू जो अपील के पक्षकार भी है, उसके मध्य विवाद से संबंधित उक्त दस्तावेज है। उक्त दस्तावेज में आर्डरशीट तथा वादपत्र शामिल है। उक्त वादपत्र दिनांक 10.09.2015 को अभिभाषक नीरज जैन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उक्त वादपत्र के पैरा न0 6 व 7 में यह अंकित किया गया है कि अपीलांट को वाद कारण की जानकारी दिनांक 06.09.2015 को हुई थी। वर्तमान में वकील अपीलांट ने धारा 5 के प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया है कि उन्हे प्रमाणित प्रतिलिपी दिनांक [illegible].09.2015 को प्राप्त हुई। प्रार्थी वकील इस बिन्दु को स्पष्ट करने हेतु कि वकील अपीलांट अर्जी में न्यायालय हाजा में स्वच्छ हाथो से उपस्थित नहीं हुए है बाबत उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। न्यायालय को यह देखना है कि क्या दस्तावेज न्याय निर्णय में सहायता करते है। उक्त दस्तावेज धारा 5 में वकील अपीलांट द्वारा बताई

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:36:55 IST
Reason: SelfAttested

गई बातों को अच्छे तरिके से विचार करने हेतु उपयोगी है। चूंकि प्रमाणित दस्तावेज है। अतः उन्हें पत्रावली पर लिया जाता है। प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 स्वीकार किया जाता है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र को देखा गया तथा प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 में प्रस्तुत किये गए तथ्यों एवं मौखिक बहस में धारा 5 के संबंध में उठाए गये बिन्दुओं पर मनन किया गया। अपीलांट के प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 26.08.2015 से रेस्पो0 के नाम विवादित भूमि के अंकन होने के बाद पटवार हल्का से राजस्व रिकोर्ड की नकल हाल ही में लिए जाने के उपरांत प्रार्थीगण ने उसके पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय से प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु दिनांक 18.09.2015 को आवेदन प्रस्तुत किया। दिनांक 22.09.2015 को प्रमाणित प्रति प्राप्त हुई। यह कथन किया है। आदेश 41 नियम 27 के वादपत्र को देखा गया। उक्त वादपत्र के पैरा 6 व 7 में यह अंकित है कि रेस्पो0 के द्वारा दिनांक 06.09.2015 से अपीलांट के कब्जेकाश्त में दखल डालना शुरू कर दिया। प्रार्थी अपीलांट द्वारा अपना शपथ पत्र भी दिया है। न्यायालय का यह मानना है कि भौतिक रूप से अपीलांट को बेदखल करने की चेष्टा पर अपीलांट को जानकारी हुई तथा प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त करके उनके द्वारा जल्दी ही अपील प्रस्तुत कर दी गई थी। उक्त अपील संभागीय आयुक्त न्यायालय में दिनांक 28.09.2015 को प्रस्तुत हुई थी मगर पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त था और रीडर द्वारा उक्त अपील को प्राप्त किया गया था। प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर निर्णित किया जाना उचित होगा। न्यायालय प्रार्थना पत्र धारा 5 को स्वीकार करता है तथा अपील को अंदर मियाद मानता है।

उक्त प्रकरण राजस्व मण्डल के निर्देश के बाद न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया था। दिनांक 20.03.2017 को उक्त प्रकरण अधम हाजरी एवं अधम पैरवी में खारिज किया गया था। जिससे प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिनांक 17.07.2017 को अपील को पुनः नम्बर पर लिए जाने का आदेश जारी किया गया।

बहस उभय पक्ष वकील सुनी गई। कानूनी बिन्दुओ पर विवेचन किया जाना उचित होगा। 1-**बिना सुनवाई निर्णय। 2-दो समानांतर प्रोसिडिंग। 3-रहन का विषय। 4-अपील मियाद बाहर है अथवा नहीं? 5-क्या धारा 136 के प्रकरण में खातेदारी दी जा सकती है।**

बिना सुनवाई निर्णयः- सुनवाई का अवसर दिया जाना अति आवश्यक है। इस संबंध में न्यायायिक दृष्टांत 2007 आरबीजे (एस सी) पेज 149 उल्लेखनीय है।

अपील मियाद बाहर है अथवा नहीः- लिमिटेशन एक्ट का जो उद्देश्य है वह अधिकारों का हनन करना नहीं है। उक्त संदर्भ में न्यायायिक दृष्टांत 1998(7)(एस सी) पेज नं0 123 बालकृष्णन बनाम एम कृष्णामूर्ति नामक प्रकरण उल्लेखनीय है।

क्या धारा 136 के प्रकरण में खातेदारी दी जा सकती हैः- धारा 136 एल आर एक्ट का स्कोप बहुत संक्षिप्त है। इसमें सिर्फ लिपिकीय त्रुटियों को सही किया जा सकता है। वह भी दोनों पक्षकारों की सहमति के बाद यहां तक निर्देश है कि सन् 1956 से पूर्व की कोई प्रविष्टि धारा 136 एल आर एक्ट के माध्यम से शद्ध नहीं की जा सकती है, यह दावां प्रस्तुत करके ही की जा सकती है। धारा 136 के माध्यम से दर्ज प्रविष्टि में परिवर्तन किया जा सकता है। प्रविष्टि को बदला नहीं जा सकता है। धारा 136 की कार्यवाहीं में भी दोनों पक्षों को नोटिस दिया जाना आवश्यक है। यहां तक लैण्ड रिकोर्ड ऑफिसर यदि स्योमोटो भी कार्यवाहीं करना चाहे तो भी उसे पक्षकारो को नोटिस देने होंगें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पक्षकारों को कोई नोटिस नहीं दिया गया। कोई सुनवाई नहीं की गई। मात्र एक मौका पर्चा के आधार पर जमाबंदी में दर्ज प्रविष्टियों को गैर विधिक तरीके से बदल दिया गया है।

मौका पर्चा 21.07.2015 में दर्ज कथन का अवलोकन किया गया। मौका पर्चा दिनांक 21.07.2015 के अनुसार ''भू-प्रबंध द्वारा तैयार परिशोधन में वर्किंग जमाबंदी के खाता संख्या 1183 को दुरूस्ती हेतु मीठालाल वल्द जगन्नाथ जाति महाजन के स्थान पर छित्तर पुत्र धन्ना जाति जाट साकिन्दह राइना मीठालाल पुत्र जगन्नाथ जाति महाजन साकिन्दह का आदेश हुआ है। परंतु उक्त परिशोधन में दर्ज खसरा न0 साबिक [illegible] 10 बिस्वांसी, 4279/3 बीघा 10 बिस्वा का अमल नामांतरण संख्या 651 दिनांक 02.[illegible] द्वारा छित्तर वलद धन्ना के नाम हो चुका है। किंतु खसरा न0 साबिक 3968 का अमल नहीं [illegible] है। जो अमल किया जाना है। अतः परिशोधन के रिकोर्ड दुरूस्त किया जाना उचित है।

उक्त खसरा परिशोधन पत्र को देखा गया। इसमें [illegible] सात कॉलम है। कॉलम नम्बर 06 में इंद्राज-गत लिखा हुआ है और कॉलम न0 05 इंद्राज वर्तमान लिखा हुआ है। रेस्पो0 का यह कहना सही है कि दो खसरा न0 खसरा परिशोधन के अनुसार पुनः उनके नाम दर्ज हो गए है। परंतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:36:55 IST
Reason: SelfAttested

वादग्रस्त खसरा न0 उनके नाम अंकित नहीं है। रेस्पो0 इसी खसरा परिशोधन को आधार मानते हुए यह कथन कर रहा है। इसी खसरा परिशोधन पत्र के वादग्रस्त खसरा न0 के सामने वर्तमान इंद्राज में मीठालाल का नाम दर्ज है। और कॉलम न0 07 में यह लिखा हुआ है। ''जरिये मिसल नम्बर 78/आरए/71/मिशलेनियस दिनांक 19.01.72 द्वारा अमल किया है। श्रीमान तहसीलदार साहब केकड़ी के न्यायालय से'' हालांकि यह खसरा परिशोधन पत्र फोटोकॉपी के रूप में तथा कम स्पष्ट है। लेकिन जो पढ़ने से पता लग रहा है वो यह है कि न्यायालय तहसीलदार के आदेश से उक्त इंद्राज मीठालाल के नाम दर्ज किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी द्वारा नियमो को ध्यान न रखते हुए गैर विधिक तरीके से धारा 136 एल आर एक्ट का दुरूपयोग करते हुए आदेश दिया है। पक्षकारो की सहमति नहीं ली गई है। ना ही सूचित किया गया है और पूरी प्रविष्टि ही बदल दी गई है। जबकि वह सिर्फ सहमति के आधार पर लिपीकीय त्रुटि को ही बदल सकते थे।

अप्रार्थी द्वारा यह बहस में बताया गया है कि उनके द्वारा रहन को चुका दिया गया था। रेस्पो0 को यह चाहिए था कि वह कब्जा प्राप्त करने तथा खातेदारी की घोषणा बाबत् क्षैत्राधिकार न्यायालय ए0सी0एम/एस0डी0एम में वादपत्र दायर कर उक्त अनुतोष प्राप्त कर सकता था।

सम्पूर्ण विवेचन के बाद न्यायालय का यह मानना है कि उपखण्ड अधिकारी केकड़ी द्वारा नियमों का ध्यान नहीं रखते हुए अतिशीघ्रता से निर्णय किया गया है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा बिना नोटिस दिये, पक्षकारों को बिना तामील करवायें, बिना पक्षकारों के सुनवाई किये, बिना पक्षकारों की सहमति के उक्त निर्णय दिया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के सर्वथा विपरित है।

रहन संबंधित विषय को सुक्ष्मदृष्टि से देखा जाना चाहिए था। रेस्पो0 को यह बताना होगा कि किस प्रकार से रहन को मुक्त करवाया गया है। रेस्पो0 सक्षम न्यायालय में इस बाबत न्यायिक कार्यवाही संस्थित कर सकता है। उपखण्ड अधिकारी केकड़ी के आदेश दिनांक 23.07.2015 को विधिविरूद्ध होने से खारिज किया जाना उचित होगा।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अपील अपीलांट अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी दिनांक 23.07.2015 को स्वीकार करते हुए उपखण्ड अधिकारी केकड़ी के आदेश दिनांक 23.07.2015 को निरस्त किया जाता है।

मेरे द्वारा यह आदेश आज दिनांक 28.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:36:55 IST
Reason: SelfAttested